(3)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 1 U 949086

<u>ट्रस्ट डीड (स्टाम्प साढे सात सौ रूपये)</u>

हमारी काफी समय से हार्दिक इच्छा रही है कि हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान हेतु कार्य करें। इसी परिपेक्ष्य में यह विलेख आज दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 ई0 को **राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व0 श्री सीताराम यादव निवासी ग्राम + पोस्ट धर्मपुर रत्ता तहसील चन्दौसी जिला सम्भल** द्वारा निष्पादित किया गया है। इस आशय से मैंने 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) ट्रस्ट को दे दिया है। मैं इस विलेख द्वारा उपरोक्त धन को ट्रस्ट का रूपया घोषित करता हूँ और अपने इस ट्रस्ट का निम्नलिखित विधान घोषित करता हूँ। जिससे कि भविष्य में इसके अनुसार कार्य हो –

1–	ट्रस्ट का नाम	–	**चौधरी सीताराम सिंह एजूकेशनल एंड चैरिटेबिल ट्रस्ट।**
2–	कार्यक्षेत्र	–	इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।
3–	कार्यालय	–	इस ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय **मालगोदाम रोड, चन्दौसी जिला सम्भल (उ0प्र0)** रहेगा।
4–	शाखा कार्यालय	–	ट्रस्ट की शाखाएं देश के किसी भी स्थान पर स्थापित की जा सकेंगी।
5–	उद्देश्य	–	इस ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे –

1. मानव जाति के नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक उत्थान हेतु कार्य करना।
2. कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं तकनीकी, विधि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, मेडीकल, व्यवसायिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा से सम्बन्धित स्कूल, इण्टर कॉलेज, स्नातक/स्नातकोत्तर कॉलेज आदि की स्थापना करना।
3. देश विदेश में सामाजिक बुराईयों को दूर करने हेतु प्रचार एवं प्रसार करना।
4. समाज के किसी वर्ग, धर्म, जाति व समुदाय के अनाथ, असहाय बच्चों के अनाथालय की स्थापना व संचालन करना।
5. वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, बेसहारा व्यक्तियों, कुष्ठ रोगियों की वित्तीय सहायता करना।
6. विकलांगो को रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा एवं वित्तीय सहायता करना।
7. प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, आग, अकाल, महामारी व सूखे से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये भोजन वस्त्र।

र. सिंह यादव Praneka Nilesh Yadav सरोजदेवी

क्रेता का नाम — चौधरी सीताराम सिंह एजूकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह यादव ए धर्मपुर रत्ता

क्र0 स0 15 — दिनांक 29-10-14

वास्ते — विवेकराज स्टाम्प विक्रेता

तह0 चन्दौसी ला0 न0 59

ट्रस्ट डीड

25000/-

250 20 270 800

राजेन्द्र सिंह यादव पु0 स्व0 सीताराम यादव

धर्मपुर रत्ता

चन्दौसी

29/10/14 2/3

29/10/14

R. S. Yadav

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 136618

8. आर्थिक दृष्टि से कमजोर मेधावी प्रतिभावान व योग्य छात्र–छात्राओं को पुरूस्कार, स्कालरशिप (छात्रवृत्ति) व अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करना।
9. स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के मेधावी प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं को पुरूस्कार, स्कालरशिप प्रदान करके उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहन करना।
10. सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद, प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
11. पुस्तकालय, वाचनालय, शोध प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
12. शैक्षिक, मानसिक व नैतिक विकास के लिये पत्रकारों, शोध–पत्र इत्यादि का प्रकाशन करना व सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करना।
13. गौशाला, प्याऊ, मन्दिर, धर्मशाला, रेनबसेरा, चिकित्सालय आदि की स्थापना करना और संचालन करना और उसमें योगदान देना।
14. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में वित्तीय व अन्य सहायता प्रदान करना।
15. रोगियों, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाने हेतु वाहन की व्यवस्था करना, चिकित्सा सहायता देना व पशु पक्षियों के भोजन पानी की व्यवस्था करना आदि।
16. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश विदेश से दान, अनुदान, उपहारस्वरूप धन व चल–अचल सम्पत्ति स्वीकार करना व सदुपयोग में लाना।
17. ऐसे सभी वैधानिक कार्य करना जो एक या सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अनुकूल एवं सार्वजनिक कल्याण के हों।
18. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य ऐसे सभी कार्य जो सामाजिक उत्थान के लिये आवश्यक हों, उन्हें करना तथा उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समितियां गठित करना।

6– प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पते तथा जिनको ट्रस्ट के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया, निम्न है –

	नाम व पता		पद
1.	राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व0 श्री सीताराम यादव निवासी ग्राम + पोस्ट धर्मपुर रत्ता तहसील चन्दौसी जिला सम्भल।	मुख्य ट्रस्टी	अध्यक्ष
2.	अनामिका यादव पुत्री श्री सत्यप्रकाश यादव निवासी 67, रघुकुल विहार, ट्रांसपोर्ट नगर, मेरठ जिला मेरठ।	ट्रस्टी	कोषाध्यक्ष

चौधरी सीताराम सिंह [illegible] [illegible] अध्यक्ष
राजेन्द्र सिंह [illegible]

क्रेता का नाम 16 दिनांक 28-10-14
क्र० स० — विवेकराज स्टाम्प विक्रेता
तह० चन्दौसी ला० न० 59

① राजेन्द्र सिंह यादव S/o स्व० सीताराम यादव नि० धर्मपुर रत्ता तह० चन्दौसी (अध्यक्ष) ② अनामिका यादव पत्नी श्री सत्य प्रकाश यादव नि० 67 रघुकुल विहार ट्रांसपोर्टनगर (मेरठ) (कोषाध्यक्ष) ③ नीलेश यादव S/o राजेन्द्र सिंह नि० धर्मपुर रत्ता (सचिव) ④ सरोज देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह यादव नि० धर्मपुर रत्ता तह० चन्दौसी (सदस्य)

अमरसिंह यादव एडवोकेट तह० चन्दौसी व ओमप्रकाश प्रजापति एड० तह० चन्दौसी

29/10/14

29/10/14

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 795665

3.	नीलेश यादव पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह यादव निवासी ग्राम + पोस्ट धर्मपुर रत्ता तहसील चन्दौसी जिला सम्भल।	ट्रस्टी	सचिव
4.	सरोज देवी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह यादव निवासी ग्राम + पोस्ट धर्मपुर रत्ता तहसील चन्दौसी जिला सम्भल।	ट्रस्टी	सदस्य

7— ट्रस्ट के इस समय हम उपरोक्त चार स्थायी ट्रस्टी हैं जिनमें राजेन्द्र सिंह यादव अध्यक्ष, नीलेश यादव सचिव, अनामिका यादव कोषाध्यक्ष व सरोज देवी सदस्य ट्रस्टी हैं। इनके अतिरिक्त भविष्य में उपरोक्त आजीवन ट्रस्टी अपनी सहमति से अस्थायी ट्रस्टी बना सकेंगे जिनका कार्यकाल 05 वर्ष होगा तथा नामित सदस्यों में से किसी का आचरण/व्यवहार ठीक न होने पर उसे किसी भी समय ट्रस्ट से पृथक करने का अधिकार आजीवन संस्थापक सदस्यों को होगा।

8— प्रबन्धकारिणी समिति —

प्रबन्धकारिणी समिति के कम से कम 4 सदस्य और अधिक से अधिक 11 सदस्य होंगे।

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न कियाकलापों का नियमित संचालन तथा उससे सम्बन्धित नीति निर्धारण करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों के कियान्वयन हेतु धन संचय करना एवं उसकी सुरक्षा एवं सदुपयोग की व्यवस्था करना।
3. ट्रस्ट की सम्पत्ति की सुरक्षा, सदुपयोग आदि का प्रबन्ध करना।
4. ट्रस्ट के प्रबन्धन व गतिविधियों के हित में एक ही प्रबन्ध समिति अथवा उप समितियां, सलाहकार समिति का गठन करना तथा कार्य समाप्त होने व उन्हें भंग करना। यह आजीवन स्थाई ट्रस्टियों का विशेष अधिकार होगा। उप समितियों व सलाहकार समितियों संस्थान के बाहर के विशिष्ट समाजसेवी विज्ञान व अन्य विशेषज्ञ महानुभावों को भी निर्धारित समय के लिये सम्मिलित किया जा सकता है।
5. संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये सेवा नियम बनाना, उनकी नियुक्ति करना एवं सेवानिवृत्ति करना।
6. ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त गतिविधियां अध्यक्ष की देखरेख में होंगी।

9— ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्थानों की स्थापना के लिये भूमि कय करना अथवा किसी व्यक्ति या ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि स्वीकार करना, भूमि व भवन दान देना, खरीदना,

चौधरी सीताराम सिंह एजुकेशनल एंड चैरिटेबिल ट्रस्ट [illegible] [illegible]

17 २८-१-०७४ राजेन्द्र सिंह यादव [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 भारत सत्यमेव जयते INDIA FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 795666

निर्माण करना, पट्टे पर या किराये पर अभिग्रहीत करना और उपरोक्त कार्य हेतु समस्त अधिकार ट्रस्ट के अध्यक्ष अथवा सचिव को होगा। जो भी भवन सम्पत्ति होगी वह **"चौधरी सीताराम सिंह एजूकेशनल एंड चैरिटेबिल ट्रस्ट"** के नाम से जानी जायेगी।

10— रिक्त स्थान व उसकी पूर्ति —

ट्रस्ट/संस्थान के किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने या उसकी मृत्यु हो जाने पर या अध्यक्ष द्वारा उसे संस्थान के उद्देश्यों के विपरीत कार्यरत पाये जाने पर उस सदस्य का स्थान रिक्त समझा जायेगा। अध्यक्ष को सदैव यह अधिकार होगा कि यदि किसी सदस्य को संस्थान के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने, हानि पहुंचाने यं बिना अध्यक्ष को लिखित सूचना के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर उसको ट्रस्ट से हटाया जा सकता है और अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा।

11— गणपूर्ति (कोरम) —

गणपूर्ति के लिये केवल चार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

12— संस्थान की प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी जिसकी सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व अवश्य दी जायेगी।

13— अध्यक्ष —

श्री राजेन्द्र सिंह अपने जीवनकाल के लिये ट्रस्ट के स्थायी अध्यक्ष होंगे एवं वही अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करेंगे। जो इस ट्रस्ट के सदस्यों में से ही की जायेगी। उपरोक्त ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी जो आजीवन ट्रस्टी हैं जिनके न रहने पर या किसी अन्य कारण से उनका स्थान रिक्त होने पर उनके वैध उत्तराधिकारी पुत्र अथवा पुत्र के न होने पर पुत्री अध्यक्ष की अनुमति से उनका स्थान लेंगी तथा उत्तराधिकारी सदस्य ट्रस्टी को भी वही अधिकार प्राप्त होंगे जो संस्थापक ट्रस्टी सदस्यों को होंगे।

14— अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य —

1. ट्रस्ट की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों के अन्तर्गत ट्रस्ट द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार ट्रस्ट की योजनाओं को कार्यान्वित करना व कराना।
3. ट्रस्ट के कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके कार्य की देखरेख करना, पदोन्नति करना व दण्ड देना अथवा सेवा से पृथक करना।
4. संस्थान के अनावश्यक धन को संस्थान की अनुमति से व्यय करना, जमा करना अथवा अन्यथा लगाना।
5. संस्थान भूमि, भवन आदि को संस्थान की ओर से किराये एवं पट्टे पर लेना या देना।
6. संस्थान की ओर से पत्र व्यवहार करना, अधिकार पत्र सामान्य व विशेष किसी भी कार्य के लिये नियुक्त करना, वाद दायर एवं उसकी देखभाल व प्रश्न उत्तर करना।

Scanned by CamScanner

क्रेता का नाम चौधरी सीताराम सिंह [illegible]

क्र0 सं0 18 [illegible] [illegible]

वास्ते 4 [illegible] स्टाम्प विक्रेता [illegible]

तह0 चन्दौसी ला0 नं0 59

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 795667

7. अपने कुछ अधिकारों अथवा कर्तव्यों को दूसरे किसी सदस्य के अधिपत्य में देना जिसके पालन का उत्तरदायित्व उन पर अध्यक्ष की भांति होगा।

15– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी सरकारी अथवा सहकारी बैंक या अन्य वित्तीय ट्रस्ट से ऋण प्राप्त करने का अधिकार होगा यानि ट्रस्ट ऋण प्राप्त कर सकेगा। ऋण प्राप्त करने में जो भी आवश्यक कार्यवाही करनी होगी वह सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से की जायेगी। ट्रस्ट का बैंक खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा पंजीकृत बैंक में खोला जा सकेगा जिसका संचालन सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

16– प्रबन्ध समिति के उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री का चुनाव सम्बन्धी समिति प्रत्येक तृतीय वर्ष करेगी।

17– ट्रस्ट की समस्त चल व अचल सम्पत्ति व उसके उद्देश्यों के लिये उपयोग में लाई जावेगी। यदि ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट की किसी स्थाई सम्पत्ति का किसी अन्य व्यक्ति अथवा ट्रस्ट को हस्तान्तरण अथवा सम्पत्ति बन्धक करना आवश्यक हो तो उसका अधिकार अध्यक्ष अथवा सचिव को होगा। ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यात्रा व अन्य भत्ता ट्रस्ट के सदस्यों या अन्य व्यक्तियों को दिये जाने में कोई बाधा या आपत्ति नहीं होगी।

18– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होने वाली बैठकों में निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर होंगे। पर विवाद की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा तथा उसको कहीं भी चैलेन्ज नहीं किया जा सकेगा।

19– इस ट्रस्ट के समाप्त होने की दशा में ट्रस्ट के देयों का पूर्ण भुगतान होने के पश्चात् जो सम्पत्ति अवशेष होगी, उसका निस्तारण स्थायी सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत के आधार पर तय होगा। यह बैठक पंजीकृत प्रधान कार्यालय पर ही होगी।

अतः यह समर्पण पत्र शुद्ध चित्त व मन की स्थिति में समक्ष साक्षी हस्ताक्षर कर निष्पादित का दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। निष्पादन दिनांक 29 अक्टूबर 2014 ई० स्थान तहसील चन्दौसी जिला सम्भल ड्राफ्टकर्ता श्री बलराम शर्मा, एडवोकेट तहसील चन्दौसी जिला सम्भल।

साक्षी 1– अमर सिंह यादव, एडवोकेट, तहसील चन्दौसी जनपद सम्भल।

साक्षी 2– ओमप्रकाश प्रजापति, एडवोकेट, तहसील चन्दौसी जनपद सम्भल।

29.10.14

क्रेता का नाम चौधरी [illegible] सिंह [illegible]

क्र0 स0 19 दिनांक 28.10.14 [illegible]

दास्ते — विक्रेता स्टाम्प [illegible]

तह0 चन्दौसी ला0 न0 59

IV 102 257

131 266

29/10/2014

... [illegible] को प्रतिलिपि की गई

[illegible]

[illegible]